भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1508**

**23 सितम्बर, 2020**

**"बिहार में गन्ना किसानों को बकाया राशि का भुगतान"**

**1508. श्री राम नाथ ठाकुर:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के समस्तीपुर चीनी मिल और सीतामढ़ी स्थित रीगा चीनी मिल को पुन: आरंभ करने की कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार के पास इन चीनी मिलों पर किसानों की बकाया राशि के संबंध में कोई सूचना है; और

(ग) क्या सरकार चीनी मिलों के प्रबंधन को धनराशि प्रदान करेगी ताकि किसानों को बकाया राशि का भुगतान किया जा सके?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)**

**(क):** बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, सीतामढ़ी स्थित रीगा चीनी मिल वर्तमान चीनी मौसम 2019-20 में प्रचालित हुई है और आगामी चीनी मौसम 2020-21 में भी इसके प्रचालित रहने की संभावना है। बंद सरकारी चीनी मिलों को चीनी मिल या अन्य उद्योग के रूप में फिर से चलाने के उद्देश्य से उन्हें इच्छुक निवेशकों को दीर्घकालिक पट्टे पर देने के लिए बिहार सरकार द्वारा बोली लगाने की प्रक्रिया आयोजित की गई है। चौथी बोली में समस्तीपुर यूनिट को जूट और खाद्य प्रसंस्करण इकाई के रूप में विकसित करने के लिए मैसर्स विनसम इंटरनेशनल लिमिटेड का चयन किया गया है।

**(ख):** दिनांक 07.09.2020 की स्थिति के अनुसार सीतामढ़ी स्थित रीगा चीनी मिल की ओर से गन्ना उत्पादकों को चीनी मौसम 2018-19 और 2019-20 के लिए 68.31 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य बकाया देय है। समस्तीपुर चीनी मिल की ओर से कोई गन्ना मूल्य बकाया लंबित नहीं हैं।

**(ग):** चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करना एक सतत प्रकिया है। हालांकि पिछले चीनी मौसमों के दौरान अधिशेष चीनी उत्पादन के कारण चीनी की कीमतों में मंदी रही जिससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की गन्ना मूल्य बकाया राशि में बढ़ोतरी हुई। चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि वे किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में समर्थ हों, के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पिछले तीन चीनी मौसमों में विविध कदम उठाए हैं, जैसे चीनी के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए चीनी मिलों को सहायता प्रदान करना, बफर स्टॉक के अनुरक्षण के लिए मिलों को सहायता प्रदान करना; गन्ना मूल्य देय राशि चुकाने के लिए बैंकों के माध्यम से चीनी मिलों को सरल ऋण प्रदान करना; चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य का निर्धारण करना आदि।

इसके अलावा, बिहार सरकार ने चीनी मौसम 2018-19 के गन्ना मूल्य बकाया की राशि चुकाने के लिए चीनी मिलों को गन्ने की खरीद पर 12.50 रुपए/क्विंटल की सब्सिडी प्रदान की है।

**********